रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (DN)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 1987/पौष 25, 1908
No. 26] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 1987/PAUSA 25, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1987

सा का. नि. 31(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खंड (इ) के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के

पश्चात्, निम्नलिखित पदार्थों को उक्त अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

फेनाजोफोम	इथाइल 4-मिथाइलथियोम—टोलजल आइसोप्रोपाइलफोस-फोरमोडेट
एमेट्राइन	नेथाइल-एन (1 मिथालोथाइल) -6- (मिथाइलथियो) —1, 3, 5-ट्रायाजाइन-2, 4—डायामाइन।
प्रोमेट्राइन	एन, एन[1]—बिस (1-मिथाइलथाइल) 6—(मिथाइलथियो) —1, 3, 5—ट्रायाजाइन-2, 4—डायामाइन
फलुआजोफोम	आर.एस.-2-(4-) 5-ट्रीफलुओरी-मिथाइल-2-पाइरीडाइलोक्सी (फेनोक्सी) प्रोपियोनिक एसिड

[संख्या 19-64/83-पी. पी. आई]

आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : अनुसूची में और कीटनाशी को सा.का.नि. सं. 9 (ई) तारीख 9-1-74, 823 (ई) तारीख 28-9-76, 200 (ई) तारीख 29-3-78 के अधीन जारी अधिसूचनाओं द्वारा और सं. 201 (ई) द्वारा उपांतरित सा.का.नि. सं. 318 (ई) तारीख 16-7-80, 574(ई) तारीख 6-10-79, 32(ई) तारीख 12-2-80, 501 (ई) तारीख 17-7-82, 500(ई) तारीख 18-6-85 और 839 (ई) तारीख 14-11-85 द्वारा में सम्मिलित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 1987

G.S.R. 31(E) :—In exercise of the power conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation

with the Central Insecticides Board, hereby includes the following substances in the Schedule to the said Act, namely :

Phenamiphos (Fenamiphos)	:	ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropylphosphoramidate.
Ametryne	:	N-ethyl-N^1 -(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1, 3, 5-triazine-2, 4-diamine.
Prometryne	:	N, N^1-bis (1-methylethyl)-6-(methylthio)-1, 3, 5-triazine-2, 4-diamine.
Fluazifop	:	RS: 2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy) phenoxy] propionic acid.

[No. 19-64/83-PPI]

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

NOTE :—Further insecticides were included in the Schedule vide Notifications issued under GSR Nos. 9(E) dated 9-1-74, 823(E) dated 28-9-76, 200(E) dated 29-3-78 modified to No. 201(E) vide GSR No. 318(E) dated 16-7-80, 574(E) dated 6-10-79, 32(E) dated 12-2-80, 501(E) dated 17-7-82, 500(E) dated 18-6-85 and 839(E) dated 14-11-85.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987